जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 11.09.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3304 द्वारा सड़क मार्ग पर बाइक फिसल जाने पर घायल 01 व्यक्ति को इलाज हेतु भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3304 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मनियरा से इवेन्ट संख्या 48550 से कालर द्वारा सड़क मार्ग पर बाइक फिसल जाने से 01 व्यक्ति (दीपक पुत्र चन्द्रभान ग्राम थवईपार थाना को0 खलीलाबाद, संतकबीरनगर) के घायल होने सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु एम्बुलेंश 108 की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* का0 विनोद यादव, हो0गा0 शिवानन्द चौधरी।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 135 वाहनों से 1,94,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 11.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 135 वाहनों से 1,94,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 11.09.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0स0 503/2024 धारा 80/ 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चन्दन पुत्र मुखराम निवासी खाजो थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को ग्राम खाजो से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 18.08.2024 को वादिनी प्रेमशीला पत्नी रामप्रीत निवासी उसरी थाना उरुवा जनपद गोरखपुर द्वारा थाना धनघटा पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 11.08.2024 को अभियुक्त उपरोक्त व परिवारिजन द्वारा उनकी लड़की सुमन को दहेज की मांग को लेकर मारपीट की गयी जिससे उनकी मृत्यु हो गयी । आज दिनांक 11.09.2024 को थाना धनघटा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री आजम अंसारी, का0 लक्ष्मीकान्त तिवारी।

जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 11.09.2024

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घर में घुसकर छेड़खानी करने व अश्लील वीडियों बनाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 276/2024 धारा 64(1)/333/351(2) बी0एन0एस0 व 67 आईटी एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता मनीष यादव पुत्र परमात्मा साकिन बरडाड़ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 05.09.2024 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि उक्त अभियुक्त द्वारा उनके नातिनी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी किया गया तथा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गयी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना बखिरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 11.09.2024 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, हे0कां0 सर्वजीत यादव, हे0कां0 सन्तोष सिंह।